5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(16)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (केम्प–उज्जैन) म.प्र.

प्रकरण क्रमांक– /निगरानी/17 R 1061-PBR-17

बिहारी पिता रामसिंह, जाति बंजारा, निवासी– ग्राम पिपल्या मोलु तहसील नागदा जिला उज्जैन म.प्र.

.... आवेदक

अभिभाषक श्री अब्दुल रशीद शेख
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 16-3-17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

भग्गा पिता भावसिंह, जाति बंजारा, निवासी– ग्राम पिपल्या मोलु तहसील नागदा जिला उज्जैन म.प्र.

.... अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

115
16/3/17

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय– उन्हेल, तहसील उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक– 10–अ–12/2015–16 सीमांकन में पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 से असंतुष्ट एवं दु:खित होकर निर्धारित समयावधि में निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

बिहारी पिता रामसिंह विरूद्ध भागा पि

प्रकरण कमांक निगरानी–1061–पीबीआर/2017

जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–10–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार तहसील नागदा जिला उज्जैन के आदेश दिनांक 16–6–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16–3–2017 को लगभग 7 माह से भी अधिक समय से विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण आदेश की जानकारी नहीं होना दर्शाया है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आदेश की जानकारी दिनांक 20–11–2016 को होना बतलाया गया है, अतः दिनांक 20–11–2016 से भी यह निगरानी इस न्यायालय में अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है, इसलिये बिलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	